न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रकरण क्रमांक - 43/24 प्रा-पत्र

1. श्री दयाराम S/o चुन्नीलाल जाति गिरासी - कायर मोहल्ला कोठारिया तहसील - भीलवाड़ा (प्रार्थी)

बनाम

1. श्री शंकर S/o श्री हीरा रैगर निवासी - माण्डल तहसील - माण्डल [बनैरा] (प्रत्यर्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-126 राजस्व अधि. 1956

दिनांक - 21-5-24

आदेश

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-126 राजस्व अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कायर मोहल्ला पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की भूमि ख.सं. 3053/1 कुल बिघा 01 बिस्वा 0.1391 हेक्टेयर स्थित है। पटवार भूमि से विपक्षीगण के मध्य आपसी मुठभेड़ियों से सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता है। लिहाजा प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की चकबन्दी का आदेश प्रदान करवाये जावे।

पश्चात् प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06-03-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण की पत्रावलियों से यह बात सिद्ध है कि चकबन्दी भूमि प्रार्थी एवं अन्य काश्तकार की होने से चकबन्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी नियोजित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी की याचिका निदान के आधार पर स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-126 राजस्व अधि. 1956 को स्वीकार किया जाकर ग्राम कायर पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3053/1 कुल बिघा 01 स्वामित्व 0.1391 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु चकबन्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। चकबन्दी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक माण्डल 500 रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पहाड़ान् की मौजूदगी में मौके पर चकबन्दी को बनाये रखते हुए पुख्ता सीमा बिन्दु को आधार मानकर चकबन्दी की जावे। फसल खड़ी होने पर चकबन्दी नहीं की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:48:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

नोटः- तहसीलदार माण्डल को मेजबान सेवा है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार चकबन्दी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल